झारखण्ड सरकार

# झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007

## झारखण्ड जैव विविधता पर्षद
झारखण्ड

कापी राइट : झारखण्ड जैव विविधता पर्षद, 2012

इस प्रकाशन में झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए जैव विविधता नियम, 2007 समाविष्ट हैं। इसलिए राज्य जैव विविधता पर्षद से विशेश अनुमति लिए बिना शैक्षणिक व अ-लाभकारी प्रयोजनों के लिए उन प्रलेखों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पुस्तक की सहायता से प्रकाि ात प्रका ान की एक कापी यदि पर्षद को भेजी जाएगी तो पर्षद को अधिक प्रसन्नता होगी।

आगे की सूचना के लिए
संपर्क करें:
अध्यक्ष / सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद
वन भवन, डोरण्डा, राँची—834001

मुद्रकः रूना पब्लिशर्स
कार्यालय : 35/बी, तृतीय तल्ला, रो  पा टावर,
मेन रोड, राँची (झारखण्ड)
वर्कस : डिपाटोली, कटहलमोड़ रोड,
अरगोड़ा, राँची,
# : 9835389061, 9470339549, 9308205098
Email: runapublishers@gmail.com

झारखण्ड सरकार

वन एवं पर्यावरण विभाग

## झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 30.08.2007

संख्या– वन्यप्राणी–03/2005/5014 व०प० जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–63 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखण्ड सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित नियमावली का निर्माण करती है, नामतः

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रवर्तन
   1. इस नियमावली को "झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007" कहा जा सकेगा।
   2. यह वर्ष 2007 के माह अप्रैल की पहली तिथि से झारखण्ड राज्य की सीमओं में प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ – इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ विशेष में अन्यथा वांछित न हो,
   1. "अधिनियम" से अभिप्रेत होगा "जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का क्रमांक 18)" ;
   2. "प्राधिकार" से अभिप्रेत होगा अधिनियम की धारा–8 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार" ;
   3. "पर्षद" से अभिप्रेत होगा अधिनियम की धारा–22 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित "झारखण्ड जैव विविधता पर्षद" ;



   4. "जैव विविधता प्रबंधन समिति" (संक्षिप्त में जै०वि०प्र०स०) से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–41 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित "जैव विविधता प्रबंधन समिति" ;
   5. "अध्यक्ष" से अभिप्रेत होगा झारखण्ड जैव विविधता पर्षद का अध्यक्ष ;
   6. "शुल्क" से अभिप्रेत होगा अनुसूची में निहित कोई शुल्क ;
   7. "प्रपत्र" से अभिप्रेत होगा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ;
   8. "सदस्य" से अभिप्रेत होगा झारखण्ड जैव विविधता पर्षद का कोई सदस्य, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव सम्मिलित होंगे ;
   9. "धारा" से अभिप्रेत होगा अधिनियम की कोई धारा ;
   10. "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत होगा पर्षद का पूर्णकालिक सचिव ;
   11. इस नियमावली में व्यवहृत किन्तु अपरिभाषित शब्द एवं अभिव्यंजन, जो अधिनियम में परिभाषित है, अधिनियम में निर्धारित अपने–अपने अभिप्राय ग्रहण करेंगे।
3. अध्यक्ष के चयन एवं उसकी नियुक्ति की पद्धति

(1) पर्षद का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन अध्यक्ष की प्रत्येक नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति दोनों ही मामलों में आवेदक को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए। जैव विविधता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ अथवा वैज्ञानिक को भी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) अध्यक्ष की योग्यता, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप–दंड एवं जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 (4) (ए) में उल्लिखित योग्यता के अनुरूप होगी।

4. अध्यक्ष का कार्यकाल

(1) पर्षद के अध्यक्ष का पद–धारण–काल तीन वर्षों का होगा तथा वे पुनर्नियुक्त के लिए अर्ह होंगे।

(2) प्रतिबन्ध यह है कि कोई पैंसठ (65) वर्षों की वय–प्राप्ति के उपरान्त अथवा अपने पद–धारण–काल के अवसान के उपरान्त, जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर नहीं बने रह सकेंगे।

(3) अध्यक्ष, राज्य सरकार को न्यूनतम दो माह पूर्व लिखित सूचना देकर पदत्याग कर सकेंगे। राज्य सरकार दो माह के पूर्व सूचना देकर या दो माह का एक मुश्त वेतन भुगतान कर अध्यक्ष को इस पद से हटा सकेगी।

5. अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते

(1) राज्य की सेवा से बाहर से नियुक्त अध्यक्ष को 22400–24500/– का वेतनमान देय होगा। सेवानिवृत्त पदाधिकारी के अध्यक्ष नियुक्त होने की स्थिति में उनके वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के उन आदेशों के अधीन होगा जो उन पर लागू होते हैं। प्रधान सचिव अथवा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर के पदाधिकारी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उनके वेतन एवं भत्ते उन्हीं नियमों के अधीन निर्धारित होंगे, जिनके तहत् वह वेतन प्राप्त करते थे।

(2) अध्यक्ष को वह सभी भत्ते, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, आवास एवं अन्य सुविधायें आदि अनुमान्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करें।

6. गैर–शासकीय सदस्यों का कार्यकाल एवं उनके भत्ते

(1) पर्षद का प्रत्येक गैर–शासकीय सदस्य अपने एक कार्यकाल में सरकारी राजपत्र में अपनी नियुक्ति के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) पर्षद की बैठक में उपस्थित होने वाले प्रत्येक गैर–सरकारी



सदस्य को पर्षद की बैठक के दिनों के लिए रू०500/– प्रतिदिन का मानदेय देय होगा। रांची से बाहर रहने वाले सदस्यों को इसके अतिरिक्त यात्रा–भत्ता, दैनिक–भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते देय होंगे, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को देय होते हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक गैर–शासकीय सदस्य की योग्यता वही होगी जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 (4) (सी) में उल्लिखित है।

7. गैर–शासकीय सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना

(1) पर्षद का कोई गैर–शासकीय सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्व–लिखित सूचना देकर किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकेगा और उस स्थिति में पर्षद में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जायेगा।

(2) पर्षद के गैर–शासकीय सदस्य की कोई आकस्मिक रिक्ति नवीन मनोनयन द्वारा भरी जा सकेगी तथा रिक्ति को भरे जाने पर इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति उस सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए, जिसके स्थान पर उसको मनोनीत किया गया है, पद–धारण कर सकेगा।

8. पर्षद के सदस्यों को हटाया जाना

राज्य सरकार अधिनियम की धारा–11 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी के आधार पर, उस पद्धति से जिसे राज्य सरकार प्रकरण विशेष की परिस्थितियों में योग्य और उचित समझे, पर्षद के किसी सदस्य को अपने पद से हटा सकेगी।

9. पर्षद के सदस्य–सचिव

(1) राज्य सरकार सेवारत मुख्य वन संरक्षकों में से किसी एक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पर्षद का पूर्णकालिक सदस्य–सचिव नियुक्त कर सकेगी।

(2) सदस्य–सचिव पर्षद की बैठकों के समन्वय एवं संयोजन, पर्षद

की कार्यवाहियों के अभिलेखों के संधारण तथा वैसे अन्य विषयों के लिए, जो पर्षद द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें, उत्तरदायी होंगे।

10. पर्षद की बैठकें

(1) पर्षद की बैठक वर्ष में न्यूनतम चार बार, सामान्यतः तीन माह के अंतराल पर, पर्षद के मुख्यालय में अथवा ऐसे अन्य स्थल पर, जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाये, आयोजित होगी।

(2) अध्यक्ष, पर्षद के न्यूनतम पाँच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अथवा राज्य सरकार के निर्देश पर पर्षद की विशेष बैठक आहूत करेंगे। अध्यक्ष का पद रिक्त रहने की स्थिति में, अधिनियम की धारा (49) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्देश निर्गत किये जाने पर, सदस्य सचिव को पर्षद की विशेष बैठक आहूत करने का अधिकार होगा।

(3) सदस्यों को सामान्य बैठक के लिए न्यूनतम पन्द्रह (15) दिनों की तथा विशेष बैठक के लिए न्यूनतम तीन दिनों की पूर्व–सूचना, बैठक के प्रयोजन, समय एवं स्थल के विवरण के साथ दी जायेगी।

(4) प्रत्येक बैठक का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित सभापति द्वारा किया जायेगा।

(5) पर्षद के निर्णय, यदि आवश्यक हो तो, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से लिये जायेंगे तथा अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में सभापतित्व करने वाले सदस्य को समानता की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार होगा।

(6) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।

(7) प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति पाँच होगी।

(8) किसी सदस्य को बैठक के विचारार्थ कोई विषय प्रस्तुत करने का अधिकार तबतक नहीं होगा, जबतक कि उसने दस दिनों



की पूर्व–सूचना नहीं दी हो अथवा जबतक कि अध्यक्ष अपने स्व–विवेक से एतदर्थ अपनी अनुमति प्रदान नहीं करें।

(9) बैठक की सूचना सदस्यों को पत्रवाहक के माध्यम से अथवा निबंधित डाक से उनके अंतिम ज्ञात आवासीय पते पर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया से जो परिस्थिति–विशेष में सदस्य–सचिव द्वारा उचित समझी जाये, भेजी जा सकेगी।

(10) प्रत्येक सदस्य, जो किसी भी रूप में यथा प्रत्यक्ष, परोक्ष अथवा निजी रूप में बैठक में विचारित एवं निर्णीत होने वाले किसी विषय से संबंधित हो अथवा उसमें अभिरूची रखता हो, बैठक में अपने संबंध अथवा अभिरूचि के स्वरूप को प्रकट करेगा तथा उसे प्रकट करने के पश्चात् संबंधित अथवा अभिरूचि रखने वाला सदस्य उस बैठक में भाग नहीं लेगा।

11. पर्षद द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति तथा उनके प्राप्य

(1) झारखण्ड जैव विविधता पर्षद कृषि विविधता से संबंधित समिति का गठन कर सकेगी।

(2) पर्षद, पूर्णतः सदस्यों की अथवा अंशतः सदस्यों एवं अंशतः वाह्य व्यक्तियों की अथवा पूर्णतः वाह्य व्यक्तियों की समितियाँ, उतनी संख्या में, वैसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें वह उचित समझे, गठित कर सकेगी।

(3) समिति के वैसे सदस्यों को, जो पर्षद के सदस्य नहीं हैं, बैठक में उपस्थित होने के लिए वैसे शुल्क एवं भत्ते भुगतान किये जायेंगे, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे।

11 ए. (1) झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद, ऐसे पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जिन्हें वह अपने कार्यों के सुचारू संचालन हेतु नियुक्त करना आवश्यक समझे।

(2) ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति पर्षद द्वारा या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा संविदा के आधार पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् की जा सकेगी।

12. पर्षद के सामान्य कृत्य

पर्षद निम्नांकित कृत्यों का संपादन कर सकेगी:

(1) अधिनियम की धारा–7 एवं 24 में निर्दिष्ट गतिविधियों के संचालन–नियंत्रण हेतु प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशों का निर्धारण;

(2) जैव–विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सततपोष्य उपयोग एवं जैविकीय संसाधन तथा ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित एवं साम्यिक सहभोग से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देना;

(3) जैव–विविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियों का समन्वय करना;

(4) जैव–विविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना;

(5) जैविकीय संसाधन से संबंधित शोध एवं अनुसंधानों को प्रायोजित करना एवं अध्ययनों को संस्थित करना;

(6) अपने कृत्यों के प्रभावी संपादन में पर्षद को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु परामर्शियों को नियोजित करना;

(7) जैव–विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करके जैविकीय संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग का अनुमोदन प्रदान करना एवं उनका विनियमन करना;

(8) जैव–विविधता महत्व के विरासत–स्थलों की पहचान एवं उनका उन्नयन;

(9) जैव–विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सततपोष्य उपयोग तथा जैविकीय संसाधन एवं ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित एवं साम्यिक सहभोग से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिक आँकड़ों, हस्तकों, संहिताओं एवं मार्ग–निर्देशों का संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन;

(10) जैव–विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के सतत्पोष्य उपयोग तथा जैविकीय संसाधन एवं ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित एवं साम्यिक सहभोग से संबंधित एक सर्वांगीण कार्यक्रम का जन–संचार के माध्यम से आयोजन/संगठन;



(11) जैव–विविधता के संरक्षण एवं उसके अवयवों के सतत्पोष्य उपयोग के कार्यक्रमों में नियोजित अथवा नियोजन हेतु संभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना का निर्माण एवं उसका आयोजन;

(12) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आय–व्ययक (बजट) के प्रावधानों के अनुरूप पर्षद का वार्षिक आय–व्ययक (बजट) तैयार करना;

(13) पर्षद द्वारा अपने कृत्यों के प्राभावी संपादन हेतु राज्य सरकार से पदों के सृजन की अनुशंसा करना एवं पदों का सृजन करना; प्रतिबंध यह है कि स्थायी/अस्थायी अथवा किसी प्रकृति का कोई पद राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सृजित नहीं हो सकेगा;

(14) पर्षद के कर्मियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का अनुमोदन करना;

(15) प्रभावी प्रबंधन, उन्नयन एवं सतत्पोष्य उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जैव–विविधता पंजियों एवं विद्युदाणविक (इलेक्ट्रॉनिक) आधार आंकड़ों के माध्यम से जैविकीय संसाधन एवं संबद्ध पारंपरिक ज्ञान हेतु सूचना एवं अभिलेखीकरण पद्धति का सृजन एवं आधारभूत आंकड़ों के निर्माण हेतु आवश्यक उपक्रम करना;

(16) अधिनियम के प्रभावी परिपालन हेतु जैव–विविधता प्रबंधन समितियों को लिखित निर्देश निर्गत करना;

(17) पर्षद के कार्य–कलापों एवं अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को प्रतिवेदित करना;

(18) पर्षद का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना तथा इसे राज्य सरकार को समर्पित करना;

(19) जैव–विविधता प्रबंधन समितियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जैविकीय संसाधन के अभिगमन एवं उसके संग्रहण हेतु किसी व्यक्ति से अधिनियम की धारा 41(3) के अधीन लिये जाने वाले संग्रहण–शुल्क की अनुशंसा एवं उसमें संशोधन;

(20) जैव–विविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनार्थ ऋण अथवा अनुदान स्वीकृत करना;

(21) अधिनियम के परिपालन के संदर्भ में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;

(22) वैसे अन्य कृत्यों का संपादन जो राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित अथवा न्यस्त किये जाएँ।

(23) बोर्ड के अधीन निर्माण योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

13. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं उसके कर्तव्य

(1) अध्यक्ष पर्षद की दैनन्दिन गतिविधियों के सर्वोपरि नियंत्रक होंगे।

(2) जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–10 के प्रावधानों के अधीन, अध्यक्ष को पर्षद के पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर सामान्य अधीक्षण की शक्तियाँ होंगी तथा वे पर्षद के कार्यों के प्रबंधन एवं संचालन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

(3) अध्यक्ष 25 लाख रूपये तक के प्राक्कलन की सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सक्षम होंगे।

(4) अध्यक्ष को 25,00,000 (पच्चीस लाख) रूपये से अधिक की निविदा स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी।



(5) अध्यक्ष पर्षद की सभी बैठकों का संयोजन एवं सभापतित्व करेंगे तथा पर्षद द्वारा लिये गये सभी निर्णयों का समुचित परिपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) अध्यक्ष वैसी अन्य शक्तियों का उपयोग तथा वैसे अन्य कृत्यों का संपादन करेंगे, जो समय–समय पर पर्षद अथवा प्राधिकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा उनको प्रत्यायोजित हों।

13(अ) सदस्य सचिव की शक्तियाँ एवं उसके कर्तव्य

(1) सदस्य सचिव पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे तथा वे पर्षद के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारू रूप से संपादन के लिए उत्तरदायी होंगे। उनमें इसके लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ निहित होंगी।

(2) सदस्य सचिव, पर्षद एवं इसकी अन्य समितियों की बैठक हेतु सभी व्यवस्था करेंगे।

(3) पर्षद के सभी आदेश एवं दिशा निर्देश सदस्य सचिव अथवा उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(4) सदस्य सचिव स्वयं अथवा पर्षद द्वारा किसी तत्प्रयोजनार्थ प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से, अनुमोदित आय–व्ययक के अनुसार सभी भुगतानों को स्वीकृत एवं संवितरित कर सकेंगे।

(5) सदस्य सचिव को पच्चीस लाख रूपये तक की निविदा को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(6) सदस्य सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेंगे, जो समय–समय पर पर्षद द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किये जायेंगे।

(7) सदस्य सचिव पर्षद के सभी गोपनीय कागजातों एवं अभिलेखों के प्रभारी रहेंगे तथा उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

14. पर्षद को पूर्व सूचना दिये जाने एवं धारा–7 में उल्लिखित किसी गतिविधि को प्रारंभ करने के लिए पर्षद द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया

(1) कोई भारतीय नागरिक अथवा भारत में निबंधित कोई निगमित निकाय, संघ अथवा संगठन, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी जैव–संसाधन को प्राप्त करने अथवा जैव–सर्वेक्षण एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जैव–उपयोग का इच्छुक हो, प्रपत्र–1 में पर्षद को पूर्व सूचना देगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ दस हजार रूपये की शुल्क राशि पर्षद के पक्ष में आहरित मांग–विकर्ष (डिमाण्ड–ड्राफ्ट) के रूप में संलग्न होगी।

(3) पर्षद संबंधित स्थानीय निकायों से परामर्श के उपरान्त तथा ऐसी जाँच एवं छान–बीन के उपरान्त जो पर्षद उचित समझे, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से यथासंभव छः माह की अवधि के अधीन, आदेश द्वारा, आवेदन का निस्तार कर देगी।

(4) पर्षद लिखित एवं अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से, उप–नियम (1) में वर्णित किसी गतिविध को प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध कर सकेगी, यदि उसका अभिमत हो कि ऐसी गतिविधि जैव–विविधता के संरक्षण एवं जैव संसाधनों के सतत्पोष्य उपयोग तथा ऐसी गतिविधि से प्राप्त लाभों के साम्यिक अंश–भोग के उद्देश्यों के प्रतिकूल अथवा उसमें बाधक है।

(5) कोई आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि आवेदक को अपने पक्ष के प्रस्तुतीकरण का युक्तिसंगत अवसर नहीं दिया गया हो।

(6) पर्षद इस धारा के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुमोदन के विषय में सर्वसाधारण को सूचित करेगी।



15. जैविकीय संसाधनों की उपलब्धि से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध

(1) पर्षद, यदि वह आवश्यक एवं युक्तियुक्त समझे तो, जैविकीय संसाधनों की अभिगम्यता के अनुरोध को निम्नलिखित कारणों से प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध कर सकेगीः–

i. यदि अभिगम्यता का अनुरोध किसी संकटापन्न प्रजाति वर्ग के लिए हो।

ii. यदि अभिगम्यता का अनुरोध किसी स्थानीय एवं दुर्लभ प्रजाति के लिए हो।

iii. यदि याचित अभिगम्यता का प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय जन की आजीविका पर पड़ने की संभावना हो।

iv. यदि याचित अभिगम्यता के परिणाम–स्वरूप कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय आघात आशंकित हो जिसका नियंत्रण एवं शमन दुष्कर हो।

v. यदि याचित अभिगम्यता जननिक क्षरण का कारण हो सकती हो अथवा पारिस्थिक तन्त्र को प्रभावित कर सकती हो।

16. राज्य जैव विविधता पर्षद के व्ययों का वहन राज्य की समेकित निधि से किया जाना

सदस्यों को भुगतेय वेतन एवं भत्ते तथा पर्षद के प्रशासनिक व्यय का, जिसमें पर्षद के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों को भुगतेय अथवा उनसे संबंधित वेतन, भत्ते एवं पेंशन सम्मिलित है, राज्य की समेकित निधि से वहन किया जायेगा।

17. झारखण्ड जैव विविधता पर्षद को राज्य सरकार द्वारा मौद्रिक अनुदान

राज्य सरकार, राज्य विधायिका में तत्संबंधी वांछित विनियोजन के उपरान्त, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद को अनुदान अथवा ऋण के माध्यम से उतनी धनराशि का भुगतान कर सकेगी जो वह अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु उचित समझे।

18. झारखण्ड जैव विविधता निधि का गठन

i. "झारखण्ड जैव विविधता निधि" के रूप में एक निधि गठित की जायेगी तथा उसमें निम्नांकित राशियाँ आकलित की जायेंगीः–

क) नियम 17 के अधीन झारखण्ड जैव विविधता पर्षद को दिया जाने वाला कोई अनुदान अथवा ऋण;

ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार से प्राप्त कोई अनुदान अथवा ऋण;

ग) वैसे अन्य श्रोतों से, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएँ, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ;

ii. झारखण्ड जैव विविधता निधि का उपयोग निम्नांकित के लिए होगाः–

क) विरासत–स्थलों का प्रबंधन एवं संरक्षण;

ख) अधिनियम की धारा 37 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना से आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना अथवा उनका पुर्नवास;

ग) जैविकीय संसाधनों का संरक्षण एवं उन्नयन;

घ) संबंधित स्थानीय निकायों से परामर्श कर वैसे क्षेत्रों का सामाजिक–आर्थिक विकास, जहाँ अधिनियम की धारा 24 के अधीन निर्गत आदेश के आधार पर जैविकीय संसाधनों एवं उनसे संबद्ध ज्ञान का अभिगमन किया गया हो;

ड.) अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित नियमावली के द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए किये जाने वाले व्यय का वहन।



19. राज्य जैव विविधता निधि का संचालनः

1. राज्य जैव विविधता निधि अध्यक्ष द्वारा अथवा पर्षद के किसी ऐसे पदाधिकारी द्वारा संचालित होगी जिसे इसके लिए प्राधिकृत किय जाय।

2. राज्य जैव विविधता निधि के दो लेखा–शीर्ष होंगे, एक राज्य सरकार से प्राप्तियों के लिए तथा दूसरा पर्षद को प्राप्त होनेवाले शुल्क की राशि एवं अन्य प्राप्तियों के लिए।

19अ. राज्य जैव विविधता पर्षद के लेखा का अंकेक्षण

(1) राज्य जैव विविधता पर्षद के लेखा का संधारण व अंकेक्षण उस रीति से होगा, जैसा कि राज्य के महालेखाकार से परामर्श कर विहित किया जायेगा तथा राज्य जैव विविधता पर्षद राज्य सरकार को उस विहित तिथि के पूर्व, लेखा की अंकेक्षित प्रति तथा अंकेक्षक का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगी।

राज्य जैव विविधता के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

(2) राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन तथा अंकेक्षण के प्रतिवेदन को उनके प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करायेगी।

20. जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति (जै0प्र0स0) गठित करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन गठित की जानेवाली जैव विविधता प्रबंधन समिति में एक अध्यक्ष एंव स्थानीय निकाय द्वारा मनोनीत छः से अनधिक सदस्य होंगे, जिनमें से एक तिहाई से अन्यून संख्या महिलाओं की तथा 36% से अन्यून संख्या अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों की होगी।

(3) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन समिति के

सदस्यों के मध्य से स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत बैठक में किया जायगा। समग्रन्थि (टाइ) की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मतदान का अधिकार होगा।

(4) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(5) विधानसभा एवं लोकसभा के स्थानीय सदस्य समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य होंगे।

(6) जै0 प्र0 स0 का मुख्य कृत्य होगा स्थानीय लोगों से परामर्श करके लोक जैव विविधता पंजी के उपक्रमित करना। स्थानीय जैविकीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उससे संबंधित ज्ञान, उनके भेषजीय अथवा किसी अन्य उपयोग अथवा उनसे संबद्ध किसी अन्य पारम्परिक ज्ञान के संबंध में व्यापक सूचनाएँ उक्त पंजी में धारित होंगी।

(7) पर्षद अथवा प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु निर्दिष्ट किसी विषय पर परामर्श देना तथा जैविकीय संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों एवं चिकित्सकों के संबंध में विवरण संधारित करना विविधता प्रबंधन समिति के अन्य कृत्य होंगे।

(8) पर्षद लोक जैव विविधता पंजी के स्वरूप, उसमें धारित होने वाले विवरण तथा विद्युदाण्विक (इलेक्ट्रोनिक) आधारित आंकड़ों के लिए प्रपत्र के निर्धारण हेतु आवश्यक उपक्रम करेगी।

(9) लोक जैव विविधता पंजी के उपक्रमण हेतु पर्षद जैव विविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता एवं दिशा–निर्देश प्रदान करेगी।

(10) लोक जैव विविधता पंजी जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा संधारित एवं प्रमाणीकृत होगी।

(11) समिति एक ऐसी पंजी भी संधारित करेगी जिसमें जैविकीय



संसाधनों एवं पारम्परिक ज्ञान के स्वीकृत अभिगमन, लगाये गये संग्रहण–शुल्क, प्राप्त लाभों एवं उनके अंश–उपभोग की पद्धति से संबंधित विवरण संधारित होंगे।

21. स्थानीय जैव विविधता निधि

<u>स्थानीय जैव विविधता निधि का अनुदान</u>

(1) राज्य सरकार, राज्य विधायिका में तत्संबंधी वांछित विनियोजन के उपरान्त, स्थानीय जैव विविधता निधि को अनुदान अथवा ऋण के माध्यम से उतनी धनराशि का भुगतान कर सकेगी जो वह अधिनिय के प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु उचित समझे।

<u>स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन</u>

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में जहां स्वायत शासन की कोई संस्था कार्यरत है, स्थानीय जैव विविधता निधि के रूप में एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नांकित राशियाँ आकलित की जायेंगी।

(क) अधिनियम की धारा 42 के अधीन दिया जाने वाला कोई अनुदान अथवा ऋण।

(ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार द्वारा दिया जाने वाला कोई अनुदान अथवा ऋण।

(ग) राज्य विविधता पर्षद द्वारा दिया जाने वाला कोई अनुदान अथवा ऋण।

(घ) जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले निर्दिष्ट शुल्क।

(ङ) वैसे अन्य क्षेत्रों से, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएँ, स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ।

<u>स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोग</u>

(3) (क) उपधारा (2) के उपबंधो के अधीन रहते हुए, स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन व अभिरक्षा तथा जिन प्रयोजनों हेतु ऐसी निधि को व्यवहार में लाया जायेगा, राज्य सरकार

द्वारा विहित रीति के अनुसार होगा।

(ख) निधि का उपयोग सम्बन्धित स्थानीय इकाई के अन्दर स्थित क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण एवं संवृद्धि तथा समुदाय की भलाई हेतु किया जायेगा बशर्ते कि उक्त उपयोग जैव विविधता के संरक्षण हेतु संगत हो।

<u>जैव विविधता प्रबंधन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन</u>

(4) वह व्यक्ति जो स्थानीय जैव विविधता पर्षद की निधि का धारक है, उस प्रपत्र में तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विहित समय पर प्रत्येक वर्ष, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें गत वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा रहेगा तथा वह इसकी एक प्रति संबंधित स्थानीय निकाय को देगा।

<u>जैव विविधता प्रबंधन समिति के लेखा का अंकेक्षण</u>

(5) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखा का संधारण एवं अंकेक्षण उस रीति से होगा, जैसा कि राज्य के महालेखाकार से परामर्श कर विहित किया जायेगा तथा वैसा व्यक्ति जो स्थानीय जैव विविधता पर्षद की निधि का धारक है, उस तिथि के पूर्व जो विहित है, संबंधित स्थानीय निकाय को लेखा की अंकेक्षित प्रति अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध करायेगा।

<u>जैव विविधता प्रबंधन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन आदि जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करना</u>

(6) अधिनियम की धारा 41 उप धारा (1) के तहत प्रत्येक स्थानीय निकाय, जिसके अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित हो, उस समिति से संबंधित अधिनियम की धारा 45 तथा 46 में क्रमशः निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिवेदन तथा अंकेक्षित प्रति को जिला दंडाधिकारी, जिसके क्षेत्राधीन में स्थानीय निकाय पड़ता है, को समर्पित करायेगा।



प्रारूप 1
(नियम 14 देखिए)
जैव विविधता संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक
पहुंच के लिए आवेदन प्ररूप
भाग क

1. आवेदक का पुर्ण विशिष्टियां (अगर आवेदक कंपनी, संघ या संस्था पंजीकरण संख्या एवं अन्य विवरण)
   (i) नाम
   (ii) स्थायी पता :
   (iii) संगठन का विवरण (विभाग कोई व्यष्टि हैं तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)। कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें :
   (iv) कारबार की प्रकृति :
   (v) संगठन का भारतीय रूपयों में व्यावृत :
2. चाही गई पहुंच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुंच किए जाने वाले सहब्द्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।
   (क) पहचान (वैज्ञानिक नाम) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान :
   (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलीय अवस्थिति :
   (ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन प्रकृति (मौखिक/दस्तावेजित) :
   (घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला काई पहचाना गया व्यष्टि/समुदाय :
   (ङ) संग्रहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा (अनुसूची दें) :
   (च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संग्रहीत किए जाने का प्रस्ताव है :
   (छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या :
   (ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न हानेवाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किए जाने की संभावना भी है :
   (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हो सकेगा :
3. किसी राष्ट्रीय संस्था के ब्यौरे जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी
4. पहुंच प्राप्त संसाधनों का प्रारंभिक गंतव्य और उस अवस्थिति की पहचान, जहां अनुसंधान और विकास किया जाएगा।

5. आर्थिक और अन्य फायदे, इसके अंतर्गत वे भी हैं जो पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और ज्ञान से प्राप्त हुए हैं या उस देश को जिसका/जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा।
6. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों या ज्ञान से तकनीकी/वैज्ञानिक समाजिक या कोई अन्य फायदे जो या उस आदेश को जिसका/जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा।
7. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के भारत/समुदायों को प्रवहित होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन।
8. फायदे प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं।
9. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाऐं।

भाग क

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा :
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा :
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

मैं/हम घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हुं/करते हैं कि असत्य/गलत जानकारी के लिए दायी होउंगा/होंगें ।

हस्ताक्षर
नाम
शीर्षक
मुहर (कंपनी/संघ/संस्था के मामले में

स्थान
तारीख